

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम 0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
03.2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	
03.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 17.03.2023 को रखें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

17.3.23

अभिलेख अपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। कि मौजा.....वांम 7.....खंड 4....., थाना सं०.....403..... खाता सं०-.....54....., प्लॉट सं०.....568/13..... रकबा 1 : 10.20 है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं०.....43/II..... पर जुमर सदर के नाम से मांग कायम है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम अधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर से बन्दोबस्त/वाद सं०-.....106/88-89..... से प्राप्त है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
मनातू।


अंचल अधिकारी,
मनातू।

सीता में

अंचल अधिकारी

मनासु पलौगु

१५

विषय:- संदिग्ध/संदेहास्पद जमाती केस नं 31/2016-17 के संबंधित जॉय
प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदन केना है कि संदिग्ध/संदेहास्पद
जमाती केस नं 31/2016-17 के संबंधित जॉय उपरान्त पाया कि ग्राम
तेंगी खुर्द के मौज पेजी II के प्लॉट 43/II पर भोंगवादी रैयत जुगैमर महारा
जिना बनवावी महारा के नाम से भोंग कायम है। ऑफ बाइन भोंग पेजी II
के अनुसार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

ग्राम	रताग	प्लॉट	बच्चा
तेंगी खुर्द	54	568/B	1-00/10

परिवर्तन का प्राधिकार
बाद से 106/88-89 के अनुसार माल निर्धारण
किया गया अनुमंडल पदा सं 24/3/98 के दिनांक 24/3/98
के आदेश में दिया जा रहा है।

उपर्युक्त वर्णित भूमि का लगान वर्ष 1989 से वर्ष 2002 तक है।
अंतिम भुगतान दिनांक 507242 दिनांक 18/2/2002 तक है। भोंगवादी रैयत
से भूमि संबंधित दस्तावेज की भोंग की गई जिसमें आवेदन प्राप्त अनुमंडल पदा
सदर प्रशासन द्वारा स्वीकृति आदेश दिनांक 24/3/98 कोलनागपुर कारखाना की
अविमियम की द्वारा 6 मी के अन्तर्गत लगान निर्धारण बाद से 106/88-89 का द्वारा
जो प्रस्तुत किया गया है जो अभिलेख के साथ है। अंचल कार्यालय में
उपलब्ध लगान निर्धारण पेजी से मिलान किया जिसमें केस नं 106/88-89 दर्ज है।

भोंगवादी रैयत द्वारा प्रदत्त दस्तावेज भोंग पेजी II में दर्ज भोंग
के आधार पर यह समझा संदिग्ध/संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है।

अतः जॉय प्रतिवेदन निम्नानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु सफ समर्पित।

15/03/23
C-2

विशाल कुमार
15/03/23
R. S. I